प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्ष 2014 प्र.सू.रि.स 09 दिनांक 11.04.2014

2.अधिनियम पी.सी एक्ट धाराएं 13 (1) ई. पी.सी एक्ट

अन्य अधिनियम एंव धाराएं –

3.(क) घटना का दिन दिनांक 29.06.76 से दिनांक 05.12.2008

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 11.04.2014 समय 03.00 पी0एम0

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविष्टि संख्या) 5 समय 03.10 पी0एम0

4. (सूचना कैसे प्राप्त हुई) बजरिया सपैशल मैसेंजर (लिखित / मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थन का ब्यौरा (क) (थाने से दिशा एंव दूरी) जानिब पूर्व दक्षिण लगभग 65 / 70 कि0 मी0

(ख) पता :

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम) नगीना। मेवात।

6. (शिकायतकर्ता / इतला देने वाला) :– मुताबिक जांच क्र0 9 दिनांक 1.12.08 / मेवात।

(क) श्री जगदीश चन्द निरीक्षक, थाना रा0चौ0ब्यूरो गुडगांव, (ख) (पिता / पति का नाम)

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं0

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) सरकारी नौकरी (पता) थाना रा0चौ0ब्यूरो, गुडगांव।।

7. (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. राजपाल उप निरीक्षक,
   थाना प्रबन्धक, नगीना, मेवात।
   हाल रिटायर्ड।

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी श्री जगदीश चन्द्र निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो (ह0) गुडगांव बादस्त ई0एच0सी0 रामपाल न0 1550 / गुडगांव बराये कायमी मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई जिसका विषय इस प्रकार से है। सेवा में, प्रबन्धक अफसर थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुडगांव श्रीमान जी, जांच क्रमांक 9 दिनांक 01.12.2008 / मेवात, महानिदेशक, राज्य चौकसी

ब्यूरो हरियाणा पचंकूला कार्यालय के पत्र क्रमांक 22188/आई0–2/एस.वी.बी हरियाणा, दिनांक 5.12.2008 के अनुसार रामअवतार सिगंला पूर्व सरंपच नगीना जिला मेवात की शिकायत की अनुपालना में दर्ज रजिस्टर की जाकर पडताल हेतु राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव मण्डल में प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप था कि ''प्रतिवादी श्री राजपाल उप निरीक्षक थाना प्रबन्धक नगीना मेवात ने अवैध रूप से आय से अधिक चल/अचल सम्पति एकत्रित की हुई है। गांव सीहा में प्रतिवादी की चल/अचल सम्पति वा पलवल में आलीशॉन कोठी बनाई हुई है तथा सैक्टर 10 गुडगांव में एक पी.जी 3 मंजिला बनाया हुआ है, जो उपरोक्त आरोप की पडताल पहले श्री महाबीर सिंह निरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, उप केन्द्र मेवात, उसके बाद श्री प्रकाश चन्द उप पुलिस अधीक्षक रा0चौ0ब्यूरो गुडगांव व इसके उपरान्त श्री महेन्द्र सिंह निरीक्षक, रा0चौ0ब्यूरो उप केन्द्र मेवात द्वारा पुलिस अधीक्षक रा0चौ0ब्यूरो गुडगांव मण्डल गुडगांव की देख–रेख में पूर्ण की गई। पडताल के दौरान पाया गया कि, प्रतिवादी राजपाल उप निरीक्षक हाल सेवा निवृत दिनांक 29.06.1076 को हरियाणा पुलिस विभाग में बतौर सिपाही के पद पर भर्ती हुआ था, जो दिनांक 31.1.2012 को विभाग से बतौर उप निरीक्षक सेवा निवृत हो चुका है। वर्ष 2008 में थाना प्रबन्धक के पद पर नगीना जिला मेवात में नियुक्ति रहा था, जो अपनी नौकरी के दौरान जनवरी 1994 नवम्बर 1996 तक बरखास्त रहा प्रतिवादी की वर्ष 1976 से दिसम्बर 1993 व दिसम्बर 1996 से दिसम्बर 2008 तक विभाग से कटोती काटने उपरान्त कुल 10,81,994/–रू बतौर वेतन प्राप्त किये व जिसकी 40/. बचत मु0 4,32,797/–रू बनती है। दिसम्बर 1993 से वर्ष 1996 तक प्रतिवादी ने बर्खास्त कार्यकाल के वेतन के ऐरियर के रूप में पी.वी.एस न0 30 दिनांक 25.10.1996 के अनुसार 38,657/–रू प्राप्त किये है, प्रतिवादी के खेतो के किनारो (डोलो) पर खडे पैडो की बिक्री से वर्ष 2006 –07 में मु0 2,20,950/–रू की आय हुई, जो प्रतिवादी ने वर्ष 2000 में अपने जी.पी.एफ से 1,30,000/–रू, वर्ष 2006–07 में 1,70,000/–रू जी.पी.एफ से निकलवाये है। प्रतिवादी की कृषि फसल से 1,16,518/–रू की बिक्री की 50/. बचत मु0 58,259/–रू की आय हुई है और प्रतिवादी द्वारा गांव सीहा में अपने हिस्से की पुस्तेनी हवेली को बेचने से 1,80,000/–रू की आय हुई है, जो प्रतिवादी ने उक्त स्त्रोतो से कुल मु0 12,30,663/–रू की आय हुई है। प्रतिवादी ने अपनी पत्नी के नाम से दिनांक 15,06,2001 को स्टाम्प ड्यूटी सहित पलवल में 212 वर्ग गज का निर्मित मकान मु0 3,24,000/–रू में खरीदा। उसके निर्माण पर तकनीकि राय अनुसार वर्ष 2006 से 2009 तक कुल मु0 12,46,700/–रू खर्च किये। परन्तु जांच वर्ष 2008 में दर्ज की गई है। इसलिए वर्ष 2008 तक खर्च अनुसार 3 वर्ष बनते है। परन्तु वर्ष 2006–09 तक 4 वर्ष बनते है, जो मकान बनाने पर तकनीकि राय अनुसार 12,46,700/–रू को 4 भागो में बांटने पर मु0 3,11,675/–रू खर्चा बनता है, जो एक वर्ष को हटा कर 3 वर्षो का खर्चा 9,35,025/–रू खर्च करने पाये है। प्रतिवादी ने गांव सीहा में दिनांक 22.8.1997 को अपने भाई धर्मपाल के साथ 2 कनाल के प्लाट के 1/2 भाग पर मु0 41,312/–रू स्टाम्प ड्यूटी सहित खर्च किये है व प्रतिवादी ने गांव सीहा में दिनांक 5.11.2090 को 4 कनाल कृषि याग्य जमीन स्टाम्प डयूटी सहित मु9 22,700/–रू खर्च किये है। प्रतिवादी ने दिनांक 6.6.2005 को गांव सीहा में ही 6 कनाल 11 मरला कृषि योग्य जमीन स्टाम्प डयूटी सहित मु0 1,57,500/–रू खर्च किये है, जो प्रतिवादी ने उक्त खरीद फरोख्त पर कुल मु0 15,20,537/–रू खर्च किए है। अत : प्रतिवादी राजपाल उप निरीक्षक, हाल सेवा निवृत द्वारा अपनी सरकारी नौकरी के दौरान दिस्म्बर 2008 तक जो भी चल/अचल सम्पति बनाई है उस

पर कुल 15,20,537/–रू खर्च करने पाये गये तथा प्रतिवादी की दिसम्बर 2008 तक की कुल आय सभी साधनो से मु0 12,30,663/–रू होनी पाई गई है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा अपनी आय के जायज स्त्रोतो के अलावा मु0 2,89,874/–रू की चल/अचल सम्पति आय से अधिक अर्जित करनी पाई गई है, जो की प्रतिवादी का खर्चा माननीय APEX Court cited in 1977 AIR SC 796 की जजमैन्ट अनुसार आय से 10 प्रतिशत अधिक खर्च करने की छूट के दायरे से भी बाहर होने उपरान्त पाई जाने पर प्रतिवादी राजपाल उप निरीक्षक हाल सेवानिवृत सपुत्र श्री हरप्रसाद निवासी गांव सीहा जिला पलवल के विरूद्व जेर धारा 13 (1) ई. भ्रष्ट्राचार निवारक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने का सुझाव दिया था, जो अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के क्रमांक 71/103/2008–5 चौकसी (2) दिनांक 28.2.2014 तथा महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पचंकूला के पृष्ठांकन 3295/1–2/ रा0चौ0ब्यूरो हरियाणा, दिनांक 6.3.2014 के अनुसार आरोपी श्री राजपाल सिंह उप निरीक्षक के विरूद्व भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) ई के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुये है। इसके अलावा जांच कर्ता द्वारा यह भी पाया गया है कि प्रतिवादी राजपाल उप नि0 हाल सेवानिवृत के द्वारा जो चल/अचल सम्पति खरीद की गई है, उस बारे विभाग से कोई अनुमति प्राप्त नही की गई है व इसके अलावा प्रतिवादी द्वारा वर्ष 2006–07 व अपने खेतो के किनारो (डोलो) पर लगे पेडो की कटाई से मुबलिक 2,20,950/–रू की आय होनी दर्शाई है। वह सन्देह जनक है उसे भी मुकदमा की तफतीश के दौरान देख लिये जाने का सुझाव दिया गया है। तहरीर हजा तैयार की जाकर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1333/रा0चौ0ब्यू0, गुडगांव दिनांक 21.03.2014 के तहत मुख्यालय पर भेजी गई थी। जो महानिदेश राज्य चौकसी ब्यूरो (ह0), पंचकुला के कार्यालय के पत्र क्रमांक 4861/आई0–2/रा0चौ0ब्यू0(ह0) दिनांक 07.04.2014 के अनुसार वैट होकर वापिस प्राप्त हुई है। जिस पर मुकदमा दर्ज करने के लिये दोबारा से तहरीर तैयार की जाकर मुकदमा न0 09 दिनांक 11.04.2014 धारा 13(1) ई0 पी0सी0 एक्ट दर्ज किया जाकर स्पैशल रिपोर्ट बजरिया डाक ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरानबाला को भिजवाई जा रही है। मिसल मुकदमा हजा आईन्दा तफतीस के लिये निरीक्षक अशोक कुमार यूनिट मेवात के पास मय रिकार्ड जांच क्रमांक 9 दिनांक 01.12.2008/मेवात सहित भेजी जा रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की जाकर सेवा में अफसरानबाला भेजी जा रही है।

हस्ता अग्रेंजी/– जगदीश चन्द्र
थाना प्रभारी का नाम
नाम : जगदीश चन्द्र
पद : निरीक्षक
सख्यां : 141/एच.ए.पी
दिनांक 11.04.2014 समय 05.00 पी.एम